क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला
परिपत्र क्रमांक – 5

म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 9923 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I / 2014 भोपाल, दिनांकः 31/12/2014

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वय**
   महात्मा गांधी नरेगा
   जिला समस्त (म.प्र)
3. **कार्यपालन यंत्री**
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
   समस्त संभाग (म.प्र)

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत स्थापित क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाओं के सुचारू संचालन हेतु परीक्षणों की दरों का निर्धारण व रखरखाव के संबंध में।**

संदर्भः 1. विभाग का क्वा. कंट्रोल प्रयोगशाला परिपत्र–1 क्र. 11058 / 22 / वि–2 / स्था. / 10 दिनांक 01.11.2010।
2. परिषद का क्वा. कंट्रोल प्रयोगशाला परिपत्र–4 क्र. 7674 / NR-3 / MGNREGS-MP / 11 दिनांक 26.07.2011।
3. परिषद का पत्र क्र. 992 / एनआरईजीएस–एमपी / लेखा / ऑडिट / 12 दिनांक 28.01.12

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संपादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे मिट्टी, मुरम, रेत, कांक्रीट इत्यादि की गुणवत्ता का परीक्षण किये जाने हेतु जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाओं के स्थापना के निर्देश संदर्भित पत्र क्र. 1 से जारी किये गये। पत्र की कंडिका 6 अनुसार प्रयोगशाला का नियंत्रणकर्ता अधिकारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को एवं कंडिका 6.1 अनुसार प्रयोगशाला प्रभारी का दायित्व जिला मुख्यालय में पदस्थ AE, MGNREGS, RES को अतिरिक्त रूप से सौंपे जाने के निर्देश हैं। **जिन जिलों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एक से अधिक संभाग गठित हो गये है, उनमें जिला मुख्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री, प्रयोगशाला के नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे।**

प्रयोगशाला उपकरणों की लघु उद्योग निगम के माध्यम से निर्धारित दरें, नियम एवं शर्ते निर्धारित कर मैदानी परीक्षणों व कय किये जाने वाले प्रयोगशाला उपकरणों का युक्तियुक्तकरण करते हुये सन्दर्भित परिपत्र क. 2 जारी किया गया है।

प्रयोगशाला स्थापना के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत उपगतिविधि एफ–17 " Purchase of Office Material equipment Other miscellaneous field/office equipment and apparatus" अंतर्गत व्यय सीमा राशि रू 10.00 लाख प्रति जिला अतिरिक्त रूप से तथा उपगतिविधि डी–4 " Running and maintainence of labouratories, consumable items" अंतर्गत व्यय सीमा राशि रू 1.00 लाख प्रति जिला की स्वीकृति सन्दर्भित पत्र क्र. 3 से जारी की गई है।

प्रयोगशालाओं के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु प्रयोगशाला परीक्षणों से होने वाली आय एवं संचालन में होने वाले व्यय के लेखा–जोखा रखे जाने हेतु प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा ''जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला'' से होने वाली आय जिले के मनरेगा खाते में ''प्रयोगशाला से अर्जित आय मद'' जमा कराया जावे, जिससे प्रयोगशाला के संचालन में होने वाले कर्मचारी के वेतन भुगतान में प्रशासकीय मद में राशि की कमी न रहे। वित्तीय अभिलेखों का आडिट जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जावे। इसी अनुक्रम में प्रयोगशाला संचालन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :

1. प्रयोगशाला में संपादित होने वाले प्रत्येक परीक्षणों हेतु परीक्षण शुल्क सभी निर्माण एजेन्सियों से प्राप्त किया जावेगा।
2. प्रयोगशाला में संपादित होने वाले परीक्षण शुल्क की दरें लोक निर्माण विभाग में प्रचलित दरों अनुसार परिशिष्ट –1 पर संलग्न है। निर्धारित दरें महात्मा गांधी नरेगा सहित सभी निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराये जाने वाले परीक्षणों हेतु समान रूप से लागू की जाती है।
3. प्रयोगशाला में सामग्री परीक्षण का सेम्पिल प्रपत्र–1 अनुसार प्राप्त होने से रिपोर्ट जारी किये जाने तथा राशि प्राप्त होने का विवरण रजिस्टर में संलग्न प्रारूप प्रपत्र–4 अनुसार प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा संधारित किया जावे। सामग्री परीक्षण का सेम्पिल प्राप्त होने पर परीक्षण हेतु निर्धारित राशि का मांग पत्र प्रपत्र–2 में प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा जारी किया जावेगा। परीक्षण हेतु प्राप्त राशि की रसीद प्रपत्र–3 अनुसार जारी की जावेगी।

4. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संपादित होने वाले निर्माण कार्यो यथा सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सडक, पंच परमेश्वर आंतरिक सीमेन्ट कॉंक्रीट सडक, आंगनवाडी भवन, गोदाम निर्माण, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र – पंचायत भवन, तालाब, स्टाप डेम आदि कार्यो में गुणवत्ता हेतु समय–समय पर सामग्री परीक्षण कराया जावे। सहायक यंत्री नरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यह सुनिश्चित करेंगे कि वांछित प्रयोगशाला परीक्षण संपन्न हुआ है एवं उसके परिणाम मानक के अनुरूप पाये गये।

5. मनरेगा अंतर्गत संपादित परीक्षण में परिणाम मानक के कम आने पर सुधार हेतु एक अवसर दिया जावेगा, इसके उपरांत परीक्षण मानक से कम आने पर संबंधित परीक्षण की राशि क्रियान्वयन एजेन्सी के मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों व ग्राम पंचायत एजेन्सी होने पर सरपंच, सचिव एवं उपयंत्री से वसूली योग्य होगी।

6. विभागीय कार्यक्रमों व अन्य शासकीय/अशासकीय क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रयोगशाला में कराये जाने वाले परीक्षणों की राशि मनरेगा के नाम से बैंक चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। नगद राशि प्राप्त होने पर उसी दिन अथवा आगामी कार्यदिवस में बैंक खाते में जमा कराये जाने का दायित्व प्रयोगशाला प्रभारी व संभागीय लेखापाल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का रहेगा।

7. प्रयोगशाला संचालन में होने वाले व्यय यथा प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक को मासिक संविदा पारिश्रमिक, विद्युत देयक, पीने के पानी की व्यवस्था, साफ–सफाई व्यवस्था, स्टेशनरी, परीक्षणों के संपादन में उपयोग होने वाली सामग्री, प्रत्येक वर्ष चूने से पुताई अथवा तीन वर्ष में एक बार डिस्टेम्पर कराये जाने के अधिकार प्रयोगशाला नियंत्रणकर्ता को रहेंगे।

8. सामग्री सेम्पल परीक्षण हेतु समय–समय पर आवश्यक सामग्री एवं केमिकल्स इत्यादि का क्रय व उपकरणों का रखरखाव इत्यादि में किये जाने वाले व्यय हेतु भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुये प्रयोगशाला नियंत्रक अधिकृत रहेगें।

9. प्रयोगशाला में उपकरणों के लगातार उपयोग के उपरांत उपकरण अकार्यशील/अनुपयोगी होने की दशा में नवीन उपकरणों का क्रय परीक्षण शुल्क की बचत राशि से आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को अनुमति से

किया जा सकेगा। महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासकीय व्यय मद से प्रयोगशाला संविदा कर्मियों का वेतन व रखरखाव से संबंधित खर्चो का भुगतान किया जा सकेगा।

10. विभिन्न परीक्षणों की आवृत्ती का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

11. प्रयोगशाला में संपादित परीक्षण व अर्जित आय का मासिक विवरण प्रपत्र–5 आगामी माह की 5 तारीख तक अथवा आन लाईन प्रविष्टि, मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजे जाने का दायित्व संभागीय लेखापाल, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग व प्रयोगशाला नियंत्रणकर्ता का रहेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

D:/Manjusha/Letter General New 14

पृ. क्रमांक / 9924 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I / 2014 भोपाल, दिनांकः 31/12/2014

प्रतिलिपिः

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

इस परिपत्र की छायाप्रति जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जिला पंचायत द्वारा एवं सहायक यंत्री व उपयंत्रियों को संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा परिपत्र प्राप्ति के उपरान्त तीन दिवस में उपलब्ध करायी जावे।

30/12/14

अपर मुख्य सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भारत सरकार की वेबसाइट http://www.nrega.nic.in
मनरेगा की वेबसाइट www.nregs-mp.org
टोल फ्री नं. 155343

D:/Manjusha/Letter General New 14

परिशिष्ट–1

M.P. NREGS Council Bhopal
Rate for approval Statement (For the Year 2013-14)

S. No.	Name of Quality Test	Sample Size	Proposed rate for Approval (As per PWD)	Working hours	Test Report
1	2	3	4	5	6
1	Sieve analysis Course Aggregate Fine sand	 25kg. 5kg.	 690/- 520/-	 ½ hours 1½ hours	 3 days
2	Grain size analysis of soil G.S.B. Base Course Surface Course	 7 kg. 7 kg.	 655/- 655/-	 1 hours 1½ hours	 4 days
3	Moisture content determinantion Optimum Moisture Content(OMC) Natural Moisture Content (NMC)	 10 Kg. 1 Kg.	 1270/- 310/-	 25 hours -	 3 days -
4	CBR test C.B.R. (Soaked)	 35 Kg.	 2560/-	 5 days	 10 days
5	Liquid limit of soil	5 Kg.	550/-	25 hours	3 days
6	Plastic limit of soil	5 Kg.	290/-	1 hours	2 days
7	Dry density of soil in Land	10 Kg.	1270/-	24+½ hours	2 days
8	Field dry density test	per test	790/-	½ to ¾ hours	2 days
9	Swelling index test (a) Free swelling	 1 Kg.	 310/-	24 hours testing 15 minutes	3days
10	To determine bearing capacity of sub grade	-	-	–	as per Site Condition per pits
11	To determine permeability of soil	-	-	24 hours 1 to 1½ hours	3 days
12	Impect value test	10Kg.	455/-	½ to 1 hours	3 days
13	Flakness index test	50Kg.	420/-	2 to 2½ hours	3 days
14	Specific gravity of of material	1Kg.	310/-		3 days
15	To determine consistency intial & final setting time of cement Consistency Intial Final	 Per test Per test	 385/- 385/-	 ½ hours more than 4-5 hours	 4 days
16	To determine compressive strength of a) concrete cube - 15x15x15 cm b) Brick - 10x10x20 cm	 3 Nos 5 Nos	 380/- 550/-	Curing 7,14,28,days 2, days	 5 days 2, days
17	To determine workability concrete mix (Slump Test)	 3 Nos	Conducted by A.E. at site	7-10 minutes on site	 2 days
18	To determine water absorption	5 Kg.	265/-	7 days	2 days
19	Collection of Sample Upto (without Lab Conveyance) Beyond (without Lab Conveyance)	 8 Kms 8 Kms	 800/- 1600/-	-	-

Seal & Sign Seal & Sign

परिशिष्ट–2

ग्रेवल सड़क निर्माण में किये जाने वाले टेस्ट एवं उनकी आवृति का विवरण

S. No.	Material	Type of Test	Field/ Laboratory Test	Test procedure	Minimum quantity of material/ work for carrying out	Frequency of testing
1	2	3	4	5	6	7
1	Earth Work : Embankment/ Subgrade/ Earthen Shoulder	(i) Free Swelling Index	**Lab Test**	IS : 2720 part 40	one test per 4000 cum of Soil	Each Soil Type to be tested, one test per 4000 cum of Soil
		(ii) MDD/OMC		IS : 2720 part 7	one test per 4000 cum of Soil	Each Soil Type to be tested, one test per 4000 cum of Soil
		(iii) Plasticty Test (Atterberg Limit)		IS : 1948	one test per 4000 cum of Soil	Each Soil Type to be tested, one test per 4000 cum of Soil
		(iv) CBR for Subgrade		IS : 2720 part 16	5000 cum atleast or closer	One CBR test for every 5000 cum atleast or closer as and when required
		(i) Moisture Content	**Lab/Field Test**	IS : 2720 part 2	250 cum for each layer	1 in 250 cum for each layer, subject to a maximum of 4 test per day.
		(ii) Degree of Compaction		IS : 2720 part 28	Every 2000 sqm area	One set of the test per 2000 sqm area comprising 5 to 6 measurements
2	Gravel : Base/Surface/ Hard Shoulder	(i) Gradation		IS : 2720 part 4	2 tests per 500 cum	2 tests per 500 cum subject to a minimum of 2 test per day.
		(ii) Atterberg's Limit	Lab Test	IS : 2720 part 5	2 tests per 500 cum	2 tests per 500 cum subject to a minimum of 2 test per day.
		(iii) Placement moisture content		IS : 2720 part 2	2 tests per 500 cum	2 tests per 500 cum subject to a minimum of 2 test per day.
		(iv) Degree of compaction	Lab/Field Test	IS : 2720 part 28	Every 2000 sqm area	One set of the test per 2000 sqm area comprising 5 to 6 measurements.
		(v) CBR	Lab Test	IS : 2720 part 16	1000 cum	1 in 1000 cum
		(vi) Aggregate Impact Value		IS : 2720 part 4	250 cum	1 in 250 cum or source
		(vii) Water Absorption		IS : 2386 part 3	every source	1 test per source
		(viii) Flakiness Index		IS : 2386 part 1	250 cum	1 in 250 cum or per day

भवन निर्माण एवं सी.सी. रोड निर्माण में किये जाने वाले टेस्ट एवं उनकी आवृति का विवरण

S. No.	Material	Type of Test	Field/ Laboratory Test	Test procedure	Minimum quantity of material/ work for carrying out	Frequency of testing
1	2	3	4		5	6
1	Cement	Test requirement	Fineness (m²/kg)	IS 4031 (Part-II)	Each fresh lot	Every 50 MT or part Thereof
			Normal consistency	IS 4031 (Part-IV)		
			Setting time (minutes) a) Initial b) Final	IS 4031 (Part-V)		
2	Reinforced cement	slump test	Field	IS: 1199	a) 20 cu.m. for slabs, beams and connected columns. b) 5 Cu.m in case of cloumns	a) 20 cu.m. Part there of or more frequently as require by the Engr.-in-Charge. b) Every 5 Cu.m.
3	Sand	Bulking of Sand	Field		20 CU.M.	Every 20 cu.m or part thereof or more frequently as decided by Engineer-In-Charge
		Silt content	Field	IS:383	20 CU.M.	Every 20 cu.m or part thereof or more frequently as decided by Engineer-in-Charge

S. No.	Material	Type of Test	Field/ Laboratory Test	Test procedure	Minimum quantity of material/ work for carrying out	Frequency of testing
1	2	3	4		5	6
4	Bricks	Testing of bricks / brick tiles for dimensions Compressive strength Water absorption effflorescence	Laboratory	IS 3495 Part I to IV	No. of bricks to be selected & bricks lot 20 : 2001 to 10000 32 : 10001 to 35000 50 : 35001 to 50000 20 : for every addl. 50000 or part thereof. If < 20000, As per decision of EIC. part thereof. If < 20000, As per decision of EIC.	Permissible defective bricks in the sample 1 2 3 1
5	Stone Aggregate	a) Percentage of soft or deleterious materials	General visual inspection /Lab test where required by the Engr-in-Charge	IS 2386 Part II	One test for each source	One test for each source
		Particle size distribution	Field / Lab	-	10 cu.m	Every 40 cum. Or part thereof and
		Once in three months for each source for coarse and fine aggregates required in RCC works, for a minimum quantity - 10 cum for coarse aggregate and 40 cum for fine aggregate.				
		Estimation of Organic	Field / Lab	IS 2386 Part II	10 Cum	-do -
		b) Specific Gravity	Field / Lab	IS 2386	10 Cum	-do -
		Bulk Density	Field / Lab	IS 2386	10 Cum	-do -
		b)Aggregate crushing strength	Field / Lab	IS 2386	10 Cum	-do -
		c) Aggregate impact value	Field / Lab	IS 2386	10 Cum	-do -
6	concrete	Cube test	Lab	IS : 516	a) 20 cu.m. In slab, beams, & connected columns. b) 5 cum in case of columns	a) every 20 cum of a day's concreting . (Ref. as per frequency of sampling). b) Every 5 cum.

Note : for all other small items and where RCC done in a day is less than 5 cum, test may be carried out as required by Engineer-in-Charge.

मनरेगा – जिला स्तरीय क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोगशाला जिला –...............
निर्माण सामग्री परीक्षण का सेम्पिल भेजने हेतु

1 कार्य का नाम – ....

2 परीक्षण का नाम – ....

3 सेम्पिल का विवरण व मात्रा – ....

4 कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी – ....

5 जनपद पंचायत – ....

6 कार्य का मद (मनरेगा / विभागीय / अन्य) – ....

7 परीक्षण हेतु भुगतान का तरीका (एफटीओ / चेक / ड्राफ्ट / नगद) – ....

8 परीक्षण की अनुशंसा करने वाले इंजीनियर का नाम व पद – ....

9 परीक्षण शुल्क की निर्धारित राशि जमा करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है – ....

हस्ता. व सील
प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी
क्रियान्वयन एजेंसी के हस्ताक्षर

नाम व हस्ताक्षर
प्रभारी उपयंत्री

उपरोक्तानुसार परीक्षण सम्पादित किया जावे।

नाम व हस्ताक्षर
प्रभारी सहायक यंत्री
जनपद पंचायत

प्रयोगशाला प्रभारी

प्रपत्र–2

क्रेडिट/केश मेमो

मनरेगा – जिला स्तरीय क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोगशाला

जिला – ....

दिनांक.............

बुक क्रं. ....

देयक क्रं. ....

नाम – (एजेंसी) ....

क्रं.	सेम्पल प्राप्ति दिनांक	परीक्षण का नाम	परीक्षण अवधि	दर	राशि
1	2	3	4	5	6
राशि रू. शब्दों में				योग	

मनरेगा के अलावा अन्य शासकीय एजेन्सियों का बैंक चेक/बैंक ड्राफ्ट/ महात्मा गांधी नरेगा जिला .... ''प्रयोगशाला से अर्जित आय मद'' के नाम से देय होगा। निजी एजेन्सी से बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद राशि जमा कराई जा सकेगी।

प्राप्तकर्ता

जारीकर्ता

प्रयोगशाला प्रभारी

प्रपत्र–3

मनरेगा – जिला स्तरीय क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोगशाला
जिला – ....

निर्माण सामग्री परीक्षण हेतु राशि प्राप्ति रसीद

क्रं............................   दिनांक ....

.........................(एजेंसी) से ....(परीक्षण का नाम) की देयक क्रं. .... दिनांक .... अनुसार राशि रू. ....(एफटीओ/चेक/ड्राफ्ट/नगद) के माध्यम से प्राप्त की गई।

हस्ताक्षर

प्रयोगशाला प्रभारी

मनरेगा – जिला स्तरीय क्वालिटी कन्ट्रोल प्रयोगशाला जिला – ....

प्रयोगशाला में सामग्री परीक्षण का विवरण संधारण हेतु रजिस्टर

क्रं.	सेम्पल प्राप्ति दिनांक	सामग्री का नाम एवं स्थल का विवरण	टेस्ट का नाम	कार्य का नाम मनरेगा का कार्य होने पर वर्क कोड भी लिखा जावे	क्रियान्वयन एजेन्सी ग्रा.पं. /विभाग/ ठेकेदार/ अन्य	जनपद	योजना का नाम			परीक्षण की राशि देयक क्रं व दिनांक	टेस्टिंग दिनांक	परिणाम	टेस्ट रिपोर्ट जारी दिनांक	परीक्षण की राशि प्राप्ति का माध्यम				विशेष
							मनरेगा	विभागीय	अन्य					FTO	बैंक चेक या ड्राफ्ट	RTGS	नगद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रयोगशाला तकनीशियन

प्रयोगशाला प्रभारी/
सहायक यंत्री

मनरेगा – जिला स्तरीय प्रयोगशाला के संचालन की स्थिति – वित्तीय वर्ष ....

राशि (रूपये में)

क्र	जिले का नाम	प्रयोगशाला तकनीशियन की संख्या	प्रयोगशाला सहायक की संख्या	परीक्षणों की संख्या व आय				संचालन व्यय						टेस्ट रिपोर्ट कम्प्यूटरीकृत या हस्तलिखित दी जा रही है।	मनरेगा से क्रय उपकरणों की संख्या	उपकरण की लागत राशि	संपादनकर्ता अमले की कार्यप्रणाली पर टीप	
				परीक्षणों की संख्या		अर्जित राशि		वेतन		परीक्षण		रखरखाव					प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला सहायक
				विगत माह तक	चालू माह तक	विगत माह तक	चालू माह तक	विगत माह तक	चालू माह तक	विगत माह तक	चालू माह तक	विगत माह तक	चालू माह तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रयोगशाला प्रभारी

संभागीय लेखापाल
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

प्रयोगशाला नियंत्रक व कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा